रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3--उप-खण्ड (i)
PART II--Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 1995/श्रावण 20, 1917
No. 341] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 1995/SRAVANA 20, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1995
सं० 106/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 589(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) के शीर्ष संख्या 58.05 के अन्तर्गत आने वाली कशीदाकारी, उनसे भिन्न जिनके संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की गई हैं, को उक्त अनुसूची में उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

[फा० सं० 356/28/95-टी०आर०यू०]
तरुण कुमार गोखिल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1995
No. 106/95-Central Excises

G.S.R. 589(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts embroidery, other than those not subjected to any process, falling within heading No. 58.05 of the Schedule to the Central

Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as 'said Schedule') from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Schedule.

[F. No. 356/28/95-TRU]
TARUN KUMAR GOVIL, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1995

सं० 33/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन०टी०)

सा० का० नि० 590(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96यझ के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-8/94-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन०टी०) तारीख 1 मार्च, 1994 को अधिक्रांत करते हुए सूती, कृत्रिम, रेशमी या ऊनी फैब्रिकों के आधार पर नग में, पट्टियों में या मोटिफ में कशीदाकारी के लिए उपयोग की जाने वाली कशीदाकारी मशीनों के लिए 30 रुपए प्रति मीटर लंबाई प्रति पारी मशीन की शुल्क दर विहित करती है ।

[फा० सं० 356/28/95-टी०आर०यू०]
तरुण कुमार गोविल, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1995
No. 33/95-Central Excises (N.T.)

G.S.R. 590(E).—In pursuance of rule 96ZI of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/94-Central Excises (N.T.) dated 1st March, 1994, the Central Government hereby fixes a rate of duty of Rs. 30 per metre length of the machines per shift, for embroidery machines utilised for manufacturing embroidery in the piece, in strips, or in motifs on a base of cotton, man-made, silk or woollen fabrics.

[F.No. 356/28/95-TRU]
TARUN KUMAR GOVIL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995